न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/09/2022	2022/13	02.03.2022	21.03.2025

1. कमल पुत्र श्री रघुनाथ मीणा निवासी नरहट तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार प्रतापगढ़ निर्णय दिनांक 25.01.2022 प्र.सं. 157/22

उपस्थितः—

01—श्री के.के. शर्मा —वकील अपी0

02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:**निर्णयः**—

अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 25.01.2022 जिसके द्वारा अपी0 को अतिक्रमी करार देते हुए आराजी खसरा नं0 78 रकबा 0.35 हैक्टेयर किस्म बंजड़ वाके ग्राम नरहट तहसील थानागाजी की सिवायचक लगानी (राज0 जनोपयोगी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि) भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमित रकबे से बेदखल एवं 50 गुणा शास्ति 50 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपी0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का पडाक छापली तहसील थानागाजी जिला अलवर ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम नरहट के आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.35 हेक्टेयर किस्म भूमि बंजड पर अतिकमी ने सम्वत 2078 फसल खरीफ में नाजायज कब्जा कर फसल पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस अतिकमी विरूद्ध धारा 91 एल आर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस दिया गया अतिकमी द्वारा कोई जवाब सबूत पेश नही किया गया जिससे यह सिद्ध नहीं होता कि अतिकमी का कब्जा देरीना है। अतः रिपोर्ट पटवारी के मुताबिक अतिक्रमण पाया गया है। आराजी नियमन योग्य नहीं है। अतः धारा 91 एल आर एक्ट के तहत उक्त अतिकमी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाता है एवं वार्षिक लगान 01/— रूपये का 50 गुणा राशि 50/— रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। गिरदावर/पटवारी हल्का को वसूली एवं अतिक्रमणशुदा फसल को नीलाम करने हेतु गिरदावर को लिखा जावे। टी.आर.ए को मांग कायमी कराई जावे। जिस आदेश से व्यथित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

तहत अदालत के द्वारा मिन अपीलाण्ट को अतिक्रमण के सम्बन्ध में जो नोटिस जारी किये गये है उन नोटिस की कोई तामिल नहीं कराई गई है तथा तामिल कुनन्दा ने साज बाज होकर दीगर व्यक्ति के हस्ताक्षर कराकर तामिल कराई गई है जिस

अ. रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम
अलवर (राज0)

तथाकथित तामिल पर तहत अदालत के द्वारा अनुपस्थिति दर्ज करते हुये अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में ही बयान पटवारी हल्का लिये गये इस प्रकार तहत अदालत के समक्ष अपीलाण्ट अपना पक्ष रखने मे महरूम रहा है। धारा 91 एल आर एक्ट का नोटिस गलत रूप से जारी किया गया है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 78 रकवा 0.64 वाके ग्राम नरहट तहसील थानागाजी जिला अलवर मे स्थित है जिस पर मिन अपीलाण्ट अपने पिता के समय से मकानात बनाये हुये है एवं कृषि यंत्र रखने व पशु बांधने व खेतो की देखभाल करने के लिये मकानात बना रखे है तथा अपने पिता के जीवन के समय से मकान का निर्माण कर बनाया हुआ है जिससे प्रार्थी खेती बाडी कार्य करता है एवं बने हुये मकानात में चारा व इधन, फुसा डाला हुआ है। उक्त प्रकरण में अन्य भाईयों राजेन्द्र, सोहनलाल, कन्हैया, लालचन्द का कोई लेना देना नहीं है तथा वो कभी उक्त गाँव मे नही रहे वो सभी बाहर अपने परिवार सहित रहते हैं। हल्का पअवारी ने गलत रिपोर्ट की है तथा जो व्यक्ति कभी गाँव मे नही रहे उनके विरूद्व सिर्फ राजनैतिक द्वेष भावना से नोटिस देकर कार्यवाही की गई है। प्रकरण में उक्त कार्यवाही से पूर्व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया कि कब्जा किसका है।

दिनांक 25.01.2022 तक कोविड–19 की वजह से गाईडलाईन की पालना नही की एवं गाईडलाईन के अन्तर्गत फाईनल आदेश जारी नहीं कर सकते है जिससे साबित होता है कि उक्त आदेश राजनैतिक रंजिश व द्वेष भावना से बिना सुने पारित किया है जो काबिले निरस्त है। पुराने कब्जे के आधार पर जमीन का विनियमन योग्य है लेकिन जल्दबाजी रंजिश से वजह से गौर नही किया गया एवं आलौच्य आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत के द्वारा मिन अपीलाण्ट को जो नोटिस देना बताया गया है उस नोटिस में कही भी यह अंकित नही किया हुआ है कि कब, किस वर्ष पूर्व में अतिक्रमण किया गया था इस प्रकार तहत अदालत के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नही होता था फिर भी बगैर तथ्यो व नोटिस पर गौर किये ही उक्त आलौच्य आदेश पारित किये गये है जो गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा ना तो कोई पूववर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध मे घटना बही पेश की गई और ना ही पटवारी हल्का के द्वारा दस्तावेजो को प्रदर्शित कराया गया और ना ही पटवारी हल्का के बयानात लिये गये इस प्रकार तहत अदालत द्वारा जो भी कार्यवाही की गई जो साईक्लो स्टाईल की गई एवं बाला बाला होकर मिन प्रार्थी के खिलाफ आदेश पारित किये गये है जो आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत के द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट का सुनवाई का अवसर नही देने पर प्रार्थी अपीलाण्ट अपना पक्ष तहत अदालत के समक्ष रखने से वंचित हो गया और तहत अदालत द्वारा बिना सुनवाई का मौका दिये ही उक्त गलत आदेश पारित किये गये है जो आदेश इसी बिना पर अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील मिन अपीलाण्ट की ओर से पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर तहत अदालत नायब तहसीलदार, प्रतापगढ जिला अलवर के आदेश दिनांक 25.01.2022 को अपास्त किये जाने की कृपा करें।

रेस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुये निवेदन किया है, कि तहत अदालत तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा अपी0 को अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर प्रकरण में विधिवत निर्णय पारित किया गया है, प्रकरण में तहत अदालत द्वारा नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपी0 खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का पडाक छापली की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

...रेक्टर जिला कलक्टर (प्रथम
...लवर (राज0)
21.3

रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी खसरा नंबर 78 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड़ सिवायचक लगानी (राज0 जनोपयोगी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि) वाके ग्राम नरहट में दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी पडाक छापली अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 78 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड भूमि में से 0.35 है0 भूमि पर 05 पुख्ता कमरें, 01 पुख्ता लेट–बाथ, 1 पारटोल एवं करीब 4 से 5 फीट ऊंची पुख्ता दीवार बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आधार पर अपी0 द्वारा उक्त आराजी पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। अपी0 द्वारा निर्माण आदि कर उक्त आराजी पर किया गया अनाधिकृत कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार प्रतापढ़ का आदेश दिनांक 25.01.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)